निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी
महासचिव
सह-प्रभारी, प्रशिक्षण विभाग

9811649949
nidchat@gmail.com

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी

इंदिरा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016 (म. प्र.)

दूसरा, यह अत्यंत चिंताजनक और आश्चर्यजनक है कि इस घटनाक्रम के विरुद्ध पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने अपनी मुखर आपत्ति दर्ज कराई, किंतु केवल मुझे ही चयनात्मक रूप से लक्षित (Target) कर कारण बताओ नोटिस भेजा गया। यही अनुशासनात्मक कार्यवाही उन अन्य नेताओं के विरुद्ध क्यों नहीं की गई? यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि क्या मुझे एक ब्राह्मण महिला पदाधिकारी होने के कारण एक सहज लक्ष्य मानकर यह चयनात्मक प्रहार किया गया है, या फिर आप किसी व्यक्ति विशेष के दबाव के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? यदि ऐसा है, तो यह सांगठनिक स्तर पर लैंगिक व सामाजिक भेदभाव के अंतर्गत आता है, जो पूरी तरह असंवैधानिक और अनैतिक है। प्रश्न तो यह भी उठना स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से पार्टी की मर्यादा तार-तार कर वास्तविक अनुशासनहीनता की, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? उन्हें आज तक कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया?

इसके अतिरिक्त, यह विभागीय एवं आंतरिक पत्र मुझे आधिकारिक रूप से प्राप्त होने से पूर्व ही मीडिया और सोशल मीडिया में जानबूझकर प्रसारित और लीक कर दिया गया, जिससे मेरी व्यक्तिगत सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक छवि को अपूरणीय क्षति पहुँची है। कृपया आप तत्काल यह स्पष्ट करें कि इस कृत्य के लिए मैं आपके विरुद्ध मानहानि (Defamation) की दीवानी एवं वैधानिक कार्यवाही क्यों न करूँ? इस संदर्भ में, आपके इस मानहानिकारक कृत्य तथा सांगठनिक स्तर पर लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव (Gender and Social Discrimination) को बढ़ावा देने वाली कार्रवाई पर आपका लिखित स्पष्टीकरण 07 दिवस के भीतर अपेक्षित है। आपका जवाब प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक स्पष्टीकरण न पाए जाने की स्थिति में, आपके इस अनाधिकृत कृत्य के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

भवदीया,

निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी
सह-प्रभारी, प्रशिक्षण विभाग- महासचिव,
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी

प्रति,
डॉ. संजय कामले,
संगठन प्रभारी - महासचिव,
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC),
इंदिरा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)

Note: letter dated 03.07.2026 is attached

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (CC):

1. माननीय श्री हरीश चौधरी जी, प्रदेश प्रभारी, म.प्र. कांग्रेस कमेटी।
2. माननीय श्री जीतू पटवारी जी, अध्यक्ष, म.प्र. कांग्रेस कमेटी।
3. माननीय श्री उमंग सिंघार जी, नेता प्रतिपक्ष, म.प्र. विधानसभा।
4. माननीय सचिवगण, अ.भा. कांग्रेस कमेटी (AICC) सह-प्रभारी, म.प्र.।
5. **माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति (Pradesh DAC), म.प्र.।**
6. माननीय श्री सुखदेव पांसे जी, उपाध्यक्ष संगठन, म.प्र. कांग्रेस कमेटी।
7. माननीय श्री मुकेश नायक जी, अध्यक्ष, मीडिया विभाग, म.प्र. कांग्रेस कमेटी।

निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी
महासचिव
सह-प्रभारी, प्रशिक्षण विभाग

9811649949
nidchat@gmail.com

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी

इंदिरा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016 (म. प्र.)

दिनांक : 09.07.2026

आपके द्वारा जारी पत्र क्रमांक: 641/26, दिनांक: 03.07.2026 के संबंध में वैधानिक प्रत्युत्तर।

संदर्भित पत्र के प्रत्युत्तर में, प्रथम दृष्टया कुछ बुनियादी प्रश्न उठाना और **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान** के प्रति आपकी अज्ञानता के साथ-साथ मेरे विरुद्ध लक्षित (Targeted) और दुर्भावनापूर्ण मंशा को रिकॉर्ड पर लाना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ।

सर्वप्रथम, आपके द्वारा जारी इस नोटिस में मेरा पदनाम (Designation) त्रुटिपूर्ण अथवा जानबूझकर गलत उल्लिखित किया गया है। साथ ही, पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं है कि कथित अनुशासनहीनता किस विशिष्ट कृत्य, घटना या किस नेता विशेष के संदर्भ में है। (पत्र संलग्न है)

आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूँ कि, मैं मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी की 'महासचिव' हूँ, न कि किसी जिले की महामंत्री (महासचिव)। जिस प्रकार आप मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के 'महासचिव' (संगठन प्रभारी) हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रदेश कार्यकारिणी की महासचिव (सह-प्रभारी, प्रशिक्षण विभाग) हूँ। पदानुक्रम के अनुसार मैं आपके अधीनस्थ नहीं, बल्कि आपकी समकक्ष पदाधिकारी हूँ। अतः मेरा पहला बुनियादी प्रश्न यह है कि आखिरकार आपने किस विधिक अथवा संवैधानिक हैसियत से मुझे यह नोटिस जारी किया है?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के संविधान के अनुच्छेद XIX (f) (iv) (b) और स्थापित अनुशासनात्मक नियमावली के अंतर्गत, संगठन प्रभारी महासचिव के पास अपने ही समकक्ष किसी प्रदेश पदाधिकारी को स्वतंत्र रूप से अथवा सीधे ऐसा दंडात्मक या कारण बताओ नोटिस जारी करने का कोई विधिक या संवैधानिक क्षेत्राधिकार नहीं है। अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने या संज्ञान लेने का अनन्य अधिकार केवल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या विधिवत गठित 'प्रदेश अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति' (Pradesh DAC) के पास सुरक्षित है।

आपके इस नोटिस की प्रशासनिक अपरिपक्वता और अनुशासनहीनता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि आपने पत्र के अंत में दी गई प्रतिलिपियों में 'प्रदेश अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति' तक को इसकी प्रतिलिपि भेजना आवश्यक नहीं समझा। यहाँ यह स्मरण रखना अनिवार्य है कि **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान और इसके नियमों का अक्षरशः पालन करना हर सच्चे कांग्रेसी का सर्वोपरि कर्तव्य और धर्म है; इस संगठन में पार्टी के संविधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है।** अपने समकक्ष पदाधिकारी को ऐसा अनाधिकृत नोटिस जारी करके आपने न केवल अपनी मर्यादा लांघी है, बल्कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के पवित्र संविधान और स्थापित नियमों के विरुद्ध जाकर उसे खुली चुनौती (Challenged) देने का दुस्साहस किया है। **चूंकि यह नोटिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान और स्थापित सांगठनिक मर्यादाओं का घोर उल्लंघन करता है, अतः यह पूर्णतः क्षेत्राधिकार-विहीन (Without Jurisdiction) होने के कारण स्वतः ही शून्य एवं निष्प्रभावी है।**